



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार-249404

संख्या: 649(1)/14/ई-5/डी0आर0/ग0प0/2023-24

दिनांक :: 07 जनवरी, 2024

विज्ञापित

राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा-2023

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक के रिक्त 91 पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या: A-3/DR/GDS&SCS/E-5/2023-24 दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन दिनांक 03 जनवरी, 2024 तक आमंत्रित किये गये थे।

2-उक्त विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-5 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 03 जनवरी, 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (**Edit/Correction**) किये जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर **Online Edit Window** लिंक दिनांक 08.01.2024 से दिनांक 18.01.2024 (रात्रि 11:59:59 बजे) तक खोला गया है, जिसके संबंध में दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

- (i) (**Edit/Correction**) हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- (ii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आईडी0 एवं पासवर्ड से लॉग इन कर पायेंगे।
- (iii) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी विज्ञापन के शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- (iv) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा **Update** हो सकेगा।
- (v) **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् **Edited Data** ही अंतिम माना जायेगा।
- (vi) अभ्यर्थियों द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा। किन्तु अगर अभ्यर्थी

केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है, जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पडता तो उस उपश्रेणी में बदलाव को कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य फील्ड्स में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को रिफंड नहीं किया जाएगा।

3—इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन/परिवर्तन (**Edit/Correction**) के अंतिम अवसर के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी किसी भी प्रविष्टियों/दावों को संशोधित/परिवर्तित करने संबंधी प्रत्यावेदन/अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

-sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।